अनुदान संख्या 64 – अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय
GRANT No. 64–MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	505,11,00	505,13,00	299,28,93	–205,84,07
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				194,61,35
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		125,04,00	82,04,00	–43,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				43,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head “2552” North Eastern Areas				
मू.	O.	5400.00	. .	. .	. .
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–5401.00			
मुख्य शीर्ष “2810'' अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	Major Head “2810” Non-Conventional Sources of Energy				
मू.	O.	41340.00	27350.91	26550.98	–799.93
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–13990.09			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2073.00	2303.36	2083.24	–220.12
पु.	R.	230.36			
मुख्य शीर्ष "3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territories Governments				
मू.	O.	508.00	207.38	203.68	–3.70
पु.	R.	–300.62			

(I) 15011.00 लाख रु. का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 14901.00 लाख रु. (अगस्त, 2003 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान''- 5401.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2810''-

(क) "सौर - प्रकाशवोल्टीय - आईएससीसी परियोजना के लिए जीईएफ अनुदान''- 9000.00 लाख रु. पांच वर्ष के लिए प्रचालन और अनुरक्षण संविदा सहित सद्यःप्रवर्तनशील आधार पर 140 एमडब्ल्यु सौर विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव के लिए अनुरोध के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बोलियां प्राप्त न होने की वजह से परियोजनाएं लागू किए जाने में विलंब होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.15011.00 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these of Rs.14901.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2003) accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for the Projects/Schemes for North Eastern Region and Sikkim" - Rs.5401.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.1.00 lakh) - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim.

(B) Major Head "2810" -

(a) "Solar - Photovoltaic - GEF grant for ISCC Project" - Rs.9000.00 lakhs - due to delay in implementation of the project owing to non-receipt of International bids against request for proposal for installation of 140 MW Solar Power Project on turn-key basis along with operation and maintenance contract for five years.

(ख) ''अन्य - ऊर्जा के अन्य स्रोत''-

(i) ''भू ताप ऊर्जा''- 200.00 लाख रु. भू ताप की अंत:शक्ति से लाभ प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में आने वाली उच्च प्रारम्भिक लागत को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिए जाने के कारण थे।

(ii) ''महासागरीय ऊर्जा''- 300.00 लाख रु. पश्चिम बंगाल नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण से 3.6 एमडब्ल्यु ज्वारीय परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव पर देर से रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2810'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''जैव ऊर्जा''-

(क) ''राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना''- 369.78 लाख रु. की बचत (3300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अव्ययित शेष उपलब्ध रहने और शर्तों का पालन न किए जाने की वजह से बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब के कुछ कार्यान्वयन अभिकरणों और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई को निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''बायोमास''-

(i) ''अकेले अनुप्रयोग के लिए बायोमास गैसीफायर''- 106.07 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य नोडल अभिकरणों से समय पर उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''बायोमास सहउत्पादन एवं दहन''- 570.14 लाख रु. की बचत (1765.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारें निधियों का 50:50 आधार पर सहयोग कर रहे हैं, के कार्यान्वयन के लिए कुछ राज्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए निधियों का अपवर्तन किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सौर''-

(b) “Others - Other Sources of Energy” -

(i) “Geo Thermal Energy” - Rs.200.00 lakhs - due to decision taken to seek international assistance in preparation of a detailed report for exploiting Geo-Thermal potential in view of the high initial cost.

(ii) “Ocean Energy”- Rs.300.00 lakhs - due to late receipt of report on environmental impact for 3.6 MW tidal project from West Bengal Renewable Energy Development Agency (WBREDA).

(II) Under Major Head “2810”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Bio-Energy”-

(a) “National Programme for Biogas Development - National Project on Biogas Development”- saving of Rs.369.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3300.00 lakhs) was due to non-release of funds to some of the implementing agencies in Bihar, Chhattisgarh, Punjab and Khadi and Village Industries Commission, Mumbai owing to availability of unspent balance and non-compliance of conditions.

(b) “Biomass” -

(i) “Biomass Gasifier for Stand Alone Application”- saving of Rs.106.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to the non-receipt of proper proposals from State Nodal agencies in time.

(ii) “Biomass Co-generation and Combustion”- saving of Rs.570.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1765.00 lakhs) was due to diversion of funds to meet the requirements of some states towards implementation of Integrated Rural Energy Programme in which Central and State Governments put funds on 50:50 sharing basis.

(B) “Solar”-

(क) ''सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम''-

(i) ''सौर ऊर्जा केन्द्र''- 161.76 लाख रु. की बचत (206.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान न किए जाने की वजह से बड़े क्षेत्र के सूर्य सिमुलेटर की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''निदर्शन, प्रौद्योगिकी उपयोग और बाजार विकास''- 136.12 लाख रु. की बचत (1070.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर निधियों में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''प्रकाशवोल्टीय''-

(i) ''अनुसंधान और विकास''- 157.74 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास परामर्शदात्री समिति द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''सौर ताप विद्युत उत्पादन''- 499.79 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पांच वर्ष के लिए प्रचालन और अनुरक्षण संविदा सहित सद्यःप्रवर्तनशील आधार पर 140 एमडब्ल्यु सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एंड पी) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बोलियां प्राप्त न होने की वजह से परियोजना लागू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(iii) ''एसपीवी पम्प कार्यक्रम''- 397.33 लाख रु. की बचत (दिसम्बर, 2003 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2801.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य नोडल अभिकरण द्वारा संशोधित दर पर कार्य किया जाना अस्वीकार किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''पवन - निदर्शन - पवन विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को सहायता''- 591.00 लाख रु. की बचत (1148.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य वन विभाग से परियोजना के लिए भूमि प्राप्त करने में राज्य के नोडल

(a) "Solar Thermal Energy Programme"-

(i) "Solar Energy Centre"- saving of Rs.161.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.206.00 lakhs) was due to non-procurement of a large area Sun-simulator owing to non-clearance by the Competent Authority.

(ii) "Demonstration, Technology Utilisation and Market Development"-saving of Rs.136.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1070.00 lakhs) was due to reduction of funds at revised estimate stage by the Ministry of Finance.

(b) "Photovoltaic" -

(i) "Research and Development"- saving of Rs.157.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-approval of Research and Development proposals by the Research and Development Advisory Committee.

(ii) "Solar Thermal Power Generation" - saving of Rs.499.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to delay in the implementation of the project owing to non-receipt of International bids against request for proposal (R&P) for installation of 140 MW Solar Power projects on turn-key basis alongwith operation and maintenance contract for five years.

(iii) "SPV Pump Programme"- saving of Rs.397.33 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2801.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in December, 2003) was due to refusal by State nodal agency to take up the work at the revised rate.

(C) "Wind - Demonstration - Assistance to Wind Power Generation Programme"- saving of Rs.591.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1148.00 lakhs) was due to the delay by Chhatisgarh Renewable Energy Development

अभिकरण, छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा विलंब किए जाने और कर्नाटक में सोगी में 2एमडब्ल्यु निदर्शन पवन विद्युत परियोजनाएं लागू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(घा) "अन्य"-

(क) "शहरी और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा"-

(i) "शहरी/नगरपालिका अपशिष्ट से ऊर्जा"- 514.21 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एक परियोजना में पूर्व में जारी किए गए अनुदानों के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) "औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा"- 655.11 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रवर्तकों से अपेक्षित दस्तावेज समय पर प्राप्त न होने और सक्षम प्राधिकारी से अंतिम अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "ऊर्जा के अन्य स्रोत"-

(i) "ऊर्जा के रासायनिक स्रोत"- 363.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) "हाइड्रोजन ऊर्जा"- 130.45 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को तकनीकी रूप से स्वीकृत न किए जाने के कारण हुई।

(iii) "लघु पन विद्युत विकास"- 624.53 लाख रु. की बचत (3700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान एसएचपी कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमों का संशोधन किए जाने के कारण हुई। ब्याज सहायता स्कीम भी बदल दी गई थी और इसलिए नए प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जा सके।

(iv) "भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन"- 255.23 लाख रु. की बचत (390.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास

Agency, the State Nodal Agency, in securing land for the project from the State Forest Department and the delay in implementation of the 2 MW demonstration wind power projects at Sogi in Karnataka,

(D) "Others"-

(a) "Energy from Urban and Agricultural Waste"-

(i) "Energy from Urban/Municipal Waste"- saving of Rs.514.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificate for the grants released earlier in one project.

(ii) "Energy from Industrial Waste"- saving of Rs.655.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-receipt of required documents in time from promoters and non-receipt of final approval from Competent Authority.

(b) "Other Sources of Energy"-

(i) "Chemical Sources of Energy" - saving of Rs.363.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs); and

(ii) "Hydrogen Energy"- saving of Rs.130.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to lack of technically cleared Research and Development projects.

(iii) "Small Hydro Power Development "- saving of Rs.624.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3700.00 lakhs) was due to revision of the schemes under SHP programme during the year. Interest subsidy scheme was also changed and hence new proposals were not sanctioned.

(iv) "Alternative Fuel for Surface Transportation"- saving of Rs.255.23 lakhs (against the sanctioned provision of

परियोजनाओं के तकनीकी रूप से स्वीकृत न होने और राज्य नोडीय अभिकरणों से बैटरी चालित वाहनों के निदर्शन के लिए परियोजनाओं के अपर्याप्त संख्या में होने के कारण हुई।

(v) ''भूतल परिवहन के लिए जैव ईंधन''- 228.15 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के तकनीकी रूप से स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय''-

(i) ''सूचना और प्रचार कार्यक्रम''- 135.07 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाह्य प्रचार, इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रचार, प्रिंट मीडिया प्रचार, प्रदर्शनी आदि के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, दूरदर्शन, राज्य नोडीय अभिकरणों, डाक विभाग आदि से समेकित एवं अधिप्रमाणित प्रस्तावों के प्राप्त न होने और कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों से उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''विशेष क्षेत्र परियोजना''- 161.11 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अभिकरणों, संस्थाओं/संगठनों से उपयुक्त प्रस्ताव पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जैव ऊर्जा - बायो गैस विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम'' के अंतर्गत 707.77 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधियों का अपवर्तन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, कनार्टक, आंध्र प्रदेश राज्यों को किए जाने के कारण हुई। इन राज्यों ने स्कीम में अपना भाग पहले ही उपलब्ध करा दिया था और इसलिए निधियों के केन्द्रीय भाग को संबंधित शीर्ष से जारी किए जाने की आवश्यकता थी।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सौर प्रकाशवोल्टीय -

Rs.390.00 lakhs) was due to lack of technically clear R&D Projects and insufficient number of projects for demonstration of battery operated vehicles from the State Nodal Agencies.

(v) "Bio-Fuels for Surface Transportation"- saving of Rs.228.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to lack of technically clear R&D Projects.

(c) "Other Expenditure"-

(i) "Information and Publicity Programme" - saving of Rs.135.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 450.00 lakhs) was due to non- receipt of consolidated and authenticated proposals from DAVP, Doordarshan, State Nodal Agencies, Department of Posts, etc for outdoor publicity, for electronic media publicity, Print media publicity, Exhibition etc. and wanting utilisation certificates from programme implementing agencies.

(ii) "Special Area Project"- saving of Rs.161.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient number of suitable proposals from the agencies, institutions/ organisations.

(III) Under Major Head "3601"-"Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Bio-Energy - National Programme for Biogas Development"- saving of Rs.707.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 1500.00 lakhs) was due to diversion of funds to meet the requirement of Centrally Sponsored Scheme of Integrated Rural Energy Planning Programme to the States of UP, MP, Uttaranchal, Karnataka, A.P. These States had already provided their share in the scheme and therefore, Central share of funds needed to be released from the concerned head.

(IV) Under Major Head "3602"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Solar Photo

प्रकाशवोल्टीय'' के अंतर्गत 290.00 लाख रु. की बचत (490.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर बजट में कमी किए जाने के कारण हुई।

(V) छह शीर्षों के अंतर्गत 431.74 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत से 71 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2810''-

(क) "जैव ऊर्जा - बायोमास - राष्ट्रीय जैव ऊर्जा बोर्ड''- 204.00 लाख रु. का अधिक व्यय (50.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूएनडीपी/जीईएफ परियोजना के अंतर्गत सीएमडीए, तमिलनाडु में शुरू की जा रही उप परियोजना से संबंधित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के भाग के लिए निधियां जारी किए जाने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "अन्य - अन्य व्यय - ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम''- 1078.66 लाख रु. का अधिक व्यय (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष " 2552'' से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम - निगरानी''- 802.61 लाख रु. का अधिक व्यय (391.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम स्कीमों के अनुसार उनके प्रस्तावों को देखते हुए निधियों की अधिक आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Voltaic - Photovoltaic"- saving of Rs.290.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.490.00 lakhs) was due to the reduction of budget at revised estimate stage.

(V) Under six heads savings of Rs.431.74 lakhs occurred, each exceeding of Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 33 per cent to 71 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2810" -

(a) "Bio-Energy - Biomass - National Bio-Energy Board" - excess of Rs.204.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50.00 lakhs) was due to meeting the additional expenditure for releasing the funds towards the share of Ministry of Non-Conventional Energy Sources for the sub project being taken up at CMDA, Tamil Nadu under UNDP/GEF Project.

(b) "Others - Other Expenditure - Village Electrification Programme" - excess of Rs.1078.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Integrated Rural Energy Planning Programme - Monitoring" - excess of Rs.802.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.391.00 lakhs) was due to more requirement of funds for states of Uttranchal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, etc. in view of their proposals as per the Integrated Rural Energy Programme Schemes norms for current financial year.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6810" अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए कर्ज	Major Head "6810" Loans for Non Conventional Sources of Energy				
मू.	O.	8500.00	4200.00	4200.00	. .
पु.	R.	–4300.00			

(I) "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण" के अंतर्गत 4300.00 लाख रु. की बचत (8500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा पहले जारी किए जा चुके कर्जों का धीमा उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Indian Renewable Energy Development Agency" - saving of Rs.4300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8500.00 lakhs) was due to slow utilisation of loans already released by Indian Renewal Energy Development Agency.